प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2022
   प्र0सू0रि0 सं 414/22 दिनांक 19/10/2022
2. (1) अधिनियम .....धाराऐं .....**7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018** .....
3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार :– दिनांक 18.10.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– **17.10.2022 समय :– 11.57 ए.एम.**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 342 समय 6:15 pm
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक)
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –**ए.सी.बी. बून्दी से करीब 60 कि0मी0 बजानिब पूर्व दिशा**
   बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
   (ख) पता:– **कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी जिला बूंदी।**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– **श्री महावीर प्रसाद जाति केवट**
(ख) पति का नाम :– श्री बाबुलाल
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– **32 साल**
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– ट्रांसपोर्ट नगर, गुरूद्वारा बस्ती, वार्ड नं. 17 लाखेरी जिला बूंदी।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
नचिकेत जगदीश पुत्र श्री जगदीश पारेता जाति कलाल उम्र 31 साल निवासी बॉटम लेवल, गुरूद्वारा रोड, लाखेरी जिला बूंदी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी ग्रामीण जिला बूंदी।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉं (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – **14,000 रूपये** .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 17.10.2022 समय 11.57 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द की परिवादी श्री महावीर प्रसाद से मोबाईल पर वार्ता होने पर परिवादी ने इतला दी कि –" मेरे पिताजी के नाम घरेलू कनेक्शन व डी.पी. देने की एवज में लाखेरी में जेईएन नचिकेत 22000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं रिश्वत नही देकर जेईएन को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ।"

परिवादी द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन के कम में मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय श्री राम सिंह कानि. 78, श्री मनोज कानि. 452, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के दो डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर सरकारी वाहन बोलेरो से लाखेरी रवाना हुआ।

मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय श्री राम सिंह कानि. 78, श्री मनोज कानि. 452, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो से कस्बा लाखेरी में पहाडी के नीचे भौमियां जी के मन्दिर परिसर में पहुँचा। परिवादी महावीर प्रसाद को फोन पर वार्ता कर उक्त स्थान पर तलब किया गया।

थोडी देर बाद परिवादी श्री महावीर प्रसाद अपनी मोटरसाइकिल से भौमियां जी के मन्दिर परिसर लाखेरी में उपस्थित आया। मन् उप अधीक्षक को परिवादी ने बताया कि "हमारे खेत में डी.पी. लगाने व घरेलू कनेक्शन करवाने का डिमाण्ड जमा करवाने के बाद भी जेईएन नचिकेत जगदीश 22000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है।" इस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा परिवादी महावीर प्रसाद को लिखित में रिपोर्ट पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने स्वयं के हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि –" मैं लाखेरी में ट्रांसपोर्ट नगर के पास गुरूद्वारा बस्ती में रहता हूँ। मेरे ग्राम डांगाहेडी में खेत पर घरेलू कनेक्शन लेने के लिये मेरे पिताजी बाबुलाल जी के नाम से कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता में प्रार्थना पत्र पेश किया तो जेईएन साहब नचिकेत जगदीश पारेता ने 73786 रूपये का डिमाण्ड जारी किया। जिस पर मैंने दिनांक 14.09.2022 को 73786 रूपये जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर ली। उसके बाद जेईएन साहब

नचिकेत जगदीश पारेता को घरेलू कनेक्शन के लिये डी.पी. लगाने को कहा तो 22000 रूपये रिश्वत देने को कहा है तथा रूपये नही देने के कारण डी.पी. नही लगाकर कनेक्शन नही कर रहा है। मेरी नचिकेत जगदीश पारेता जेईएन से कोई रंजिश नही है तथा कोई उधारी का लेन–देन बकाया नही है। मैं जेईएन नचिकेत जगदीश पारेता को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ।"

परिवादी महावीर प्रसाद द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरयाफ्त से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत मांग का होना पाया जाने पर मन् उप अधीक्षक ने परिवादी श्री महावीर प्रसाद को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाकर, सुपुर्द कर समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी से अपने कार्य के सम्बन्ध में बातचीत कर दोनो के मध्य होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश करें। श्री राम सिंह कानि. 78 को परिवादी पर निगरानी बनाये रखने की समझाइश कर परिवादी के साथ स्वयं की मोटरसाइकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री महावीर प्रसाद व श्री राम सिंह कानि. 78 भौमियां जी के मन्दिर परिसर लाखेरी आये। परिवादी महावीर प्रसाद ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि –"मैं व राम सिंह दोनों मेरी मोटरसाइकिल से रवाना होकर विद्युत विभाग कार्यालय लाखेरी गये। वहॉ पर श्री राम सिंह को कार्यालय के बाहर छोडकर मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करके कार्यालय में श्री नचिकेत जगदीश, कनिष्ठ अभियन्ता से वार्ता करने के लिये गया तो नचिकेत जगदीश अपने कार्यालय में मौजूद नही मिला। उसके बाद मैंने कार्यालय से बाहर आकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द किया एवं रामसिंह जी को हालात अवगत कराये। इसके बाद दोनो रवाना होकर आपके पास आये है।" परिवादी महावीर प्रसाद ने बताया कि कल सुबह जेईएन साहब से लेन–देन के सम्बंध में बात करूंगा, इसलिये आप कल आ जाना। इस पर परिवादी महावीर प्रसाद को हिदायत दी कि कल दिनांक 18.10.2022 को श्री राम सिंह कानि. 78 को लाखेरी भिजवा दिया जावेगा। परिवादी को कस्बा लाखेरी में ही उपस्थित रहने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया।

मन् उप अधीक्षक मय जाप्ता दीगर गोपनीय राजकार्य करने के बाद हमराह जाप्ता श्री राम सिंह कानि. 78, श्री मनोज कानि. 452, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के लाखेरी से सरकारी वाहन बोलेरो से रवाना होकर बूंदी आया। श्री राम सिंह कानि. 78 से डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों एवं अन्य परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कल ट्रेप कार्यवाही होने की पूर्ण सम्भावना होने से स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु तहरीर जारी श्री मनोज कानि. 452 को तहरीर देकर कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी बूंदी भेजकर दिनांक 18.10.2022 समय 09.30 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाहों को ब्यूरो कार्यालय बूंदी में उपस्थित होने बाबत पाबन्द करवाया गया।

दिनांक 18.10.2022 समय 08.30 ए.एम. पर श्री राम सिंह कानि. 78 को मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकार्डर सिपुर्द कर निर्देश दिये कि लाखेरी पहुँचकर परिवादी महावीर प्रसाद से उसके मोबाईल पर सम्पर्क कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर मन् उप अधीक्षक को हालात अवगत कराने के निर्देश दिये गये। बाद हिदायत के श्री राम सिंह कानि. 78 को सरकारी मोटर साइकिल से लाखेरी रवाना किया गया। समय 09.30 ए.एम. पर कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी बूंदी से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अनुपम सर्वा पुत्र मूलचन्द सर्वा जाति दर्जी उम्र 35 साल निवासी म.नं. 55 विवेकानन्द कॉलोनी, जैन मन्दिर के पास, देवली जिला टोंक हाल कर सहायक व श्री विकास राज मीणा पुत्र श्री पुष्कर राज, जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी म.नं. 13, ओम एनक्लेव, आनन्दी होटल के पीछे, कोटा रोड बूंदी हाल वरिष्ठ सहायक उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आये।

समय 11.37 ए.एम. पर श्री राम सिंह कानि. 78 ने जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक को बताया कि –" परिवादी की आरोपी नचिकेत जगदीश पारेता कनिष्ठ अभियन्ता से उसके कार्यालय लाखेरी में रिश्वत मांग के सम्बंध में वार्ता हो गई है तथा आरोपी ने परिवादी से 15000 रूपये रिश्वत की मांग कर आज ही रूपये देने को कहा है।" मन् उप अधीक्षक ने राम सिंह कानि. 78 को परिवादी महावीर प्रसाद को मांग के अनुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था करके भौमियां जी मन्दिर परिसर लाखेरी में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई।

समय 11.42 ए.एम.: पर मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय जाप्ता श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, श्रीमती हेमेन्द्रा म.कानि. 416 मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के प्राइवेट वाहन से तथा दूसरे प्राइवेट वाहन से श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, श्री राजकमल कानि. 330, श्री मनोज कानि. 452, स्वतंत्र गवाहान श्री अनुपम सर्वा व श्री विकास राज मीणा के लाखेरी रवाना हुआ।

मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के प्राइवेट वाहनों से भौमियां जी मन्दिर परिसर लाखेरी पहुँचा। जहां पर श्री राम सिंह कानि. 78 मय परिवादी महावीर प्रसाद के उपस्थित मिलें। परिवादी ने बताया कि "आज रामसिंह मेरे पास लाखेरी आया तथा मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर

देने पर रिकार्डर को चालू करके मै विधुत कार्यालय लाखेरी मे जे.ई.एन नचिकेत जगदीश के पास जाकर बातचीत की एवं मैने रूपये कम करने को कहा तो 15 हजार रूपये की मांग कर 15000 रूपये लेने को राजी हो गया है। मेरे पास रिश्वत मांग के अनुसार 15000 रूपये की व्यवस्था नही होकर 14000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है। मै जेईएन साहब को 14000 रूपये मे सहमत कर लूगा।" परिवादी महावीर प्रसाद के कथनों की पुष्टि श्री राम सिंह कानि. 78 द्वारा की गई। समयाभाव के कारण सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार किया जाना तय किया गया। स्वतंत्र गवाहान का परिवादी महावीर प्रसाद से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 17.10.2022 को पेश प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति दी।

तत्पश्चात परिवादी महावीर प्रसाद ने अपने पास से पांच–पांच सौ रूपये के 28 नोट कुल राशि 14,000 रूपये मन उप अधीक्षक के समक्ष पेश करने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अकिंत किये। श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 द्वारा प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड बॉक्स से फिनोथ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाकर सभी नोटो पर श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से फिनोथ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री महावीर प्रसाद की जामा तलाशी गवाह श्री अनुपम सर्वा से लिवाई जाकर पावडर लगे नोट 14 हजार रूपये परिवादी श्री महावीर प्रसाद की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 की फिनोथ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बधितों को दिखाकर गुलाबी धोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से फिनोथ्थलीन पाउडर की शीशी वापस प्राईवेट वाहन मे डेस्क बार्ड बॉक्स मे रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोथ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री महावीर प्रसाद को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री महावीर प्रसाद को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

श्रीमती हेमेन्द्रा म.कानि. 416 को भौमियां जी मन्दिर परिसर लाखेरी में ही रहने की हिदायत करके परिवादी श्री महावीर प्रसाद को आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता से रिश्वत लेन–देन हेतु परिवादी की मोटरसाइकिल से रवाना कर पीछे–पीछे मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के प्राइवेट वाहनों से भौमियां जी मन्दिर परिसर लाखेरी से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियन्ता, विद्युत लाखेरी बूंदी के सामने मेगा हाइवे पहुॅचा।

समय 01.35 पी.एम. पर परिवादी श्री महावीर प्रसाद को डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू करवाकर आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता के पास रिश्वत लेन–देन हेतु आरोपी के कार्यालय में रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ते के विद्युत कार्यालय के बाहर मेगा हाइवे पर अपने अपने वाहनों में छुपाव लेकर परिवादीगण के इशारे की प्रतीक्षा में मुकीम रहा।

समय 02.01 पी.एम. पर परिवादी महावीर प्रसाद ने कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम लाखेरी के बाहर चौक में आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित इशारा किया। इस पर मन् उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम टीम के सदस्यों को एकत्रित किया एवं सभी को साथ लेकर रोड से पैदल पैदल रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम लाखेरी में परिवादी महावीर प्रसाद के पास पहुॅचां। परिवादी ने बताया कि अभी अभी जेईएन साहब ने मेरे से 14000 रू लेकर अपने हाथ में रखे है तथा अन्दर कमरे में बैठा है। इस पर परिवादी के साथ मन् उप अधीक्षक मय टीम के कार्यालय के अन्दर गया तो कमरे में कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर मन् उप अधीक्षक ने स्वयं पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने कमरे में बैठे व्यक्ति की तरफ हाथ का इशारा कर बताया कि सामने जेईएन साहब बैठे है जिन्होने अभी मेरे से यही पर 14000 रूपये लिये है। मन् उप अधीक्षक ने स्वयं व टीम का परिचय देकर सामने बैठे हुये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति एकदम घबरा गया तथा 500–500 रूपये के नोटों को अपने हाथ से पीछे नीचे पटक दिया। नीचे पटके हुये नोटों को गवाह अनुपम सर्वा से उठवाया जाकर गिनाया तो 500–500 रूपये के कुल 28 नोट राशि 14000 रूपये होना पाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से बरामद नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकसी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोट रिश्वती होना पाये गये। बरामद नोटों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये	8 NV 331827
2	एक नोट पांच सौ रूपये	9KN 171400
3	एक नोट पांच सौ रूपये	9FB 703066
4	एक नोट पांच सौ रूपये	3CN 421333
5	एक नोट पांच सौ रूपये	7MP 371130
6	एक नोट पांच सौ रूपये	2EC 996324
7	एक नोट पांच सौ रूपये	5FV 569398
8	एक नोट पांच सौ रूपये	5VA 859949
9	एक नोट पांच सौ रूपये	2PP 828958
10	एक नोट पांच सौ रूपये	7WT 265578
11	एक नोट पांच सौ रूपये	0PR 779643
12	एक नोट पांच सौ रूपये	9DU 517869
13	एक नोट पांच सौ रूपये	5TB 820215
14	एक नोट पांच सौ रूपये	3DC 341395
15	एक नोट पांच सौ रूपये	1BK 162858
16	एक नोट पांच सौ रूपये	9TV 487626
17	एक नोट पांच सौ रूपये	6NW 651807
18	एक नोट पांच सौ रूपये	1LP 386974
19	एक नोट पांच सौ रूपये	4KH 870468
20	एक नोट पांच सौ रूपये	3GM 679038
21	एक नोट पांच सौ रूपये	1TK 570706
22	एक नोट पांच सौ रूपये	2FE 003650
23	एक नोट पांच सौ रूपये	2WU 675479
24	एक नोट पांच सौ रूपये	3PN 555895
25	एक नोट पांच सौ रूपये	7WM 482137
26	एक नोट पांच सौ रूपये	3GS 282197
27	एक नोट पांच सौ रूपये	7MB 262805
28	एक नोट पांच सौ रूपये	3EC 307508

उक्त नोटो को एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को पता पूछा तो उसने अपना नाम नचिकेत जगदीश पुत्र श्री जगदीश पारेता जाति कलाल उम्र 31 साल निवासी बॉटम लेवल, गुरूद्वारा रोड, लाखेरी जिला बूंदी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी ग्रामीण जिला बूंदी होना बताया।

परिवादी महावीर प्रसाद से ली गई रिश्वत राशि 14000 रूपये बाबत श्री नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता से पूछने पर आरोपी ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत नही ली है। महावीर ने मुझे ईटों के रूपये दिये है। इस परिवादी ने आरोपी के कथन का खण्डन करते हुये बताया कि जेईएन साहब झूंठ बोल रहे है, इन्होनें मेरे द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करवाने के बाद भी 22000 रूपये रिश्वत मांगी थी। अभी मेरे से 14000 रूपये लिये है। इस पर आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता ने चुप्पी साध ली। मन् उप अधीक्षक ने जरिये ईयरफोन डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड लेन–देन वार्ता को सुना तो आरोपी द्वारा परिवादी से विद्युत कनेक्शन करने व ट्रांसफार्मर देने की एवज में रिश्वत लेने की पुष्टि हुई है।

आरोपी के दोनो हाथों की धुलाई आवश्यक होने से कार्यालय भवन से साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता के दांये हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क RH–1, RH –2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता के बांये हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क LH –1, LH –2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा टीम को देखकर रिश्वत राशि नीचे पर्स पर पटक दी गई थी। इस कारण अन्य एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया

तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। कपडे की चिन्दी सें रिश्वत राशि बरामदगी स्थल कमरे के पर्स की सतह को रगड कर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया तथा चिन्दी को सुखाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर चिन्दी को कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क P अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

परिवादी महावीर प्रसाद से ली गई रिश्वत राशि 14,000 रूपये के सम्बंध में आरोपी श्री नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता से पुनः पूछने पर बताया कि " महावीर के खेत में डी.पी. लगाने व कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि 73786 रूपये जमा करवाने के बाद स्टोर से सामान व डी.पी. दी जानी थी, परन्तु कार्य की अधिकता के कारण नही दिलवा पाया। महावीर मेरे पास बार–बार आ रहा था। आज सुबह कार्यालय में मेरे पास महावीर आया तो मैंने उसकों कहा था कि 15000 रूपये दे देना, तेरा काम करवा दूंगा। इसके बाद महावीर मेरे पास दुबारा आया तथा अपनी मर्जी से उसने मेरे को 14000 रूपये दिये है। इसके बाद महावीर ने आपको बुला लिया तो मैंने डर के मारे रूपये नीचे पर्स पर पटक दिये।" इस पर मौके पर मौजूद परिवादी महावीर प्रसाद ने बताया कि "मैंने जेईएन साहब को मर्जी से रूपये नही दिये है, उन्होने मेरे से 22000 रूपये रिश्वत की मांग करके परेशान किया जा रहा था। आज सुबह जेईएन साहब के पास आया व रूपये कम करने का निवेदन किया तो जेईएन साहब 15000 रूपये लेने को राजी हो गये तथा रूपये आज ही लाकर देने को कहा था।"

श्री अजय सोनी सहायक अभियन्ता को मौके पर तलब कर परिवादी के लम्बित कार्य के सम्बंध में पत्रावली पेश करने को कहा गया तो श्री अजय सोनी सहायक अभियन्ता द्वारा कार्यालय के श्री गोवर्धन बुनकर वाणिज्यिक सहायक को तलब कर परिवादी के पिता बाबुलाल पुत्र मथरालाल की विद्युत कनेक्शन की पत्रावली कार्यालय से लाकर पेश की, उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो परिवादी महावीर प्रसाद के पिता बाबुलाल की ओर से खेत में घरेलू कनेक्शन व डी.पी. लगाने की एवज में डिमाण्ड राशि 73786 रूपये दिनांक 14.09.2022 को परिवादी की ओर से जमा करवाने के बाद दिनांक 17.09.2022 को जोब ऑर्डर जारी किया गया है, परन्तु परिवादी के खेत पर अभी तक घरेलू कनेक्शन व डी.पी. नही लगाई गई है। श्री गोवर्धन बुनकर से पूछने पर बताया कि मैंने दिनांक 17.09.2022 को ही उक्त कार्य का जोब ऑर्डर कनिष्ठ अभियन्ता नचिकेत जगदीश के नाम जारी कर दिया था एवं कनिष्ठ अभियन्ता को ही परिवादी के कार्य की पालना करनी थी। उक्त मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु श्री अजय सोनी सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये तो उनके द्वारा पत्रांक 2759 दिनांक 18.10.2022 के संलग्न उपरोक्त पत्रावली 1 लगायत 29 पृष्ठ की प्रमाणित प्रति पेश की, जो शामिल कार्यवाही की गई। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात परिवादी महावीर प्रसाद की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। अन्य दीगर गोपनीय राजकार्य एवं मौके की कार्यवाही के बाद श्री राम सिंह कानि. 78 व परिवादी महावीर प्रसाद को स्वयं की मोटरसाइकिल से ब्यूरो कार्यालय बूंदी पहुॅचने के निर्देश देकर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के आरोपी श्री नचिकेत जगदीश को हमराह लेकर एवं ट्रेप कार्यवाही में जप्तशुदा आर्टिकल्स के दोनो प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर आरोपी के मकान बॉटम लेवल, गुरूद्वारा रोड लाखेरी पहुॅचकर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई एवं फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई।

मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के आरोपी श्री नचिकेत जगदीश को हमराह लेकर एवं ट्रेप कार्यवाही में जप्तशुदा आर्टिकल्स के दोनो प्राइवेट वाहनों से कस्बा लाखेरी से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया। कार्यालय में परिवादी महावीर प्रसाद उपस्थित मिला।

समय 06.40 पी.एम. पर आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता और ना ही एफ.एस.एल. से परीक्षण करवाना चाहता हूँ।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

समय 07.00 पी.एम. पर आरोपी नचिकेत जगदीश पुत्र श्री जगदीश पारेता जाति कलाल उम्र 31 साल निवासी बॉटम लेवल, गुरूद्वारा रोड, लाखेरी जिला बूंदी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी ग्रामीण जिला बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

परिवादी श्री महावीर प्रसाद तथा आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य आज दिनांक 18.10.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र

गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री महावीर प्रसाद तथा आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य आज दिनांक 18.10.2022 को हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता, जो परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री महावीर प्रसाद तथा आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी ग्रामीण जिला बूंदी के मध्य दिनांक 18.10.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता सहित कुल 2 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी से ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से मेरे निर्देशन में उक्त दोनों वार्ताओं को सरकारी लेपटॉप में डिजिटल वाईस रिकार्डर लगाकर वार्ताओं की चार सी0डी0 तैयार करवाई गई। जिसमें से तीन सी.डी. को कपडे की थैली में अलग–अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक सी0डी0 को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखी गई। फर्द डबिंग व जब्ती सीडी मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक के जप्त आर्टिकल्स मय रिश्वत राशि 14,000 रूपये के श्री शिवनारायण हैड कानि. के जरिये जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद ट्रेप कार्यवाही रूखस्त किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी महावीर प्रसाद पुत्र बाबुलाल जाति केवट उम्र 32 साल निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, गुरूद्वारा बस्ती, वार्ड नं. 17 लाखेरी जिला बूंदी ने लिखित शिकायत पेश की कि –" मैं लाखेरी में ट्रांसपोर्ट नगर के पास गुरूद्वारा बस्ती में रहता हूँ। मेरे ग्राम डांगाहेडी में खेत पर घरेलू कनेक्शन लेने के लिये मेरे पिताजी बाबुलाल जी के नाम से कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता में प्रार्थना पत्र पेश किया तो जेईएन साहब नचिकेत जगदीश पारेता ने 73786 रूपये का डिमाण्ड जारी किया। जिस पर मैंने दिनांक 14.09.2022 को 73786 रूपये जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर ली। उसके बाद जेईएन साहब नचिकेत जगदीश पारेता को घरेलू कनेक्शन के लिये डी.पी. लगाने को कहा तो 22000 रूपये रिश्वत देने को कहा है तथा रूपये नही देने के कारण डी.पी. नही लगाकर कनेक्शन नही कर रहा है। मेरी नचिकेत जगदीश पारेता जेईएन से कोई रंजिश नही है तथा कोई उधारी का लेन–देन बकाया नही है। मैं जेईएन नचिकेत जगदीश पारेता को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ।"

परिवादी द्वारा पेश शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाने पर परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। जिस पर ट्रेप कार्यवाही की जाकर परिवादी महावीर प्रसाद के खेत में घरेलू कनेक्शन व डी.पी. लगाने की एवज में आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी ग्रामीण जिला बूंदी को परिवादी महावीर प्रसाद से 14000 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडा गया एवं आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि 14000 रूपये बरामद की गई। आरोपी के दोनों हाथों का धोवन का सेम्पल लिया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी नचिकेत जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी नचिकेत जगदीश पुत्र श्री जगदीश पारेता जाति कलाल उम्र 31 साल निवासी बॉटम लेवल, गुरूद्वारा रोड, लाखेरी जिला बूंदी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी ग्रामीण जिला बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नचिकेत जगदीश पुत्र श्री जगदीश पारेता, कनिष्ठ अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी ग्रामीण, जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 414/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19/10/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 3600-04 दिनांकः- 19.10.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव(प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

19/10/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।